

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA applicable
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URMILA BAI MEENA	RJHA2012 16026461	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINGHAN MEENA (483278) UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JATNAGLA (212522)	KARAULI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KACHROLI (482836)	KARAULI	NO
2	MOHAN LAL GUPTA	RJKA1996 26016909	Science	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KACHROLI (482836)	KARAULI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JATNAGLA (212522)	KARAULI	NO
3	RAJENDRA KUMAR MAHAWAR	RJKA1999 26007214	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BONL (212602)	KARAULI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MEENA BARODA (487189)	S.MADHOPUR	YES
4	GANGA SAHAY MEENA	RJSM2000 32000706	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGINA (227248)	S.MADHOPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANOLI (464654)	S.MADHOPUR	NO
5	VIJAY KUMAR MEENA	RJKA2014 26026990	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NARAYANA (212458)	KARAULI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VISHANPURA (212612)	KARAULI	NO
6	SATISH CHAND MEENA	RJCT2020 11033981	Hindi	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL BHAIRUPURA (485817) TO UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDANGAON (212514)	KARAULI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RANOLI (212563)	KARAULI	NO
7	PHOOL SINGH BAIRWA	RJDH2011 14014858	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RANOLI (212563)	KARAULI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDANGAON (212514)	KARAULI	YES

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावें :-

1/12

- 1 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 2 स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 3 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 4 यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 5 TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 6 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- 7 स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 8 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोत्तरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- 9 यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

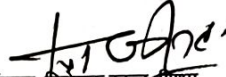

 (साहब सिंह)
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांक :-संनि/स्कूशि/भरत/संस्था-1/स्था0 व0अ0/2022/414

दिनांक- 12.01.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य ड्राईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 7 स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 8 संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण
- 9 संबंधित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA applicable
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NAWAL KISHOR MEENA	RJUD2018 39013457	Science	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARHKHERA (212625) TO UNDER TRANSFER GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SILAWAT (211796)(08080401203)	DHAULPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARHKHERA (212625)	KARAUALI	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयनोपरान्त पदस्थापित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि सामान्य विद्यालय में हो गया है तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(जाहब सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

दिनांक- 12.01.2023

क्रमांक :-सं/स्कू/भरत/संस्था-1/स्था0 व0अ0/2022/415

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर